रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012022-232942
CG-DL-E-27012022-232942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943
No. 47] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/ MAGHA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 47(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

2. विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में निहितानुसार के अलावा, ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जो इसके पश्चात् इसमें उक्त नियम के रूप में उल्लिखित) के नियम 115-ख में,

(i) पैरा क में,

(क) उप नियम (II) के खंड (क) (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(v) 1 अप्रैल 2016 को और उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए यथाप्रयोज्य टाइप अनुमोदन मानदंड दो और तीन पहिया वाहनों के लिए न्यूनतम भारत स्टेज- IV उत्सर्जन मानदंडों पर निर्भर।"

(ख) उप नियम (II) के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(III) 3.5 टन से कम जीवीडब्ल्यू के साथ एल, एम और एन श्रेणियों के इन-यूज बीएस VI गैसोलीन वाहन के लिए: -

(क) सीएनजी (प्राकृतिक गैस) किट से लैस वाहन को टाइप अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई तालिका के अनुसार परफारमंस टेस्ट किया जाएगा:

क्र.सं.	लागू परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
1.	मास उत्सर्जन परीक्षण (टाइप I परीक्षण)	1.सीएमवी नियम 115 (18)(i),115 (19),115 (20) या 115 (22) जैसा लागू हो 2.एआईएस -137
2.	ऑन-बोर्ड निदान	
3.	इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर (उपयोग में परफारमंस अनुपात)	
4.	कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन	कार्बन डाईऑक्साइड को मापा और रिपोर्ट किया जाना है
5.	ग्रेडेबिलिटी टेस्ट	एआईएस 003
6.	ईएमसी टेस्ट (वाहन स्तर या असेंबली स्तर)	एआईएस 004 (पार्ट 3)
7.	ऑफसेट फ्रंटल कोलीजन नोट: केवल तभी जब अधिकतम जीवीडब्ल्यू वाले अनुमोदित मॉडल/वेरिएंट के संबंध में, कर्ब मास में 8% से अधिक की वृद्धि हुई हो	एआईएस -098

(ख) वाहन यथाप्रयोज्य एआईएस 024, एआईएस -028 संशोधन 1 के अनुसार सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे

(ग) सीएनजी किट से रेट्रोफिट किए गए वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा और हर तीन साल में एक बार नवीनीकृत किया जाएगा।

(घ) सीएनजी प्रचालन के लिए रेट्रोफिटेड/परिवर्तित वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन विशिष्ट रूप से निर्मित वाहनों के लिए दिया जाएगा। इस तरह की किट को किसी भी वाहन में सीसी इंजन क्षमता की निर्दिष्ट सीमा के भीतर 1500 सीसी तक के वाहनों के लिए ± 7% और 1500 सीसी से ऊपर ± 5% की क्षमता सीमा के भीतर रेट्रोफिटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

(ड.) अनुरूपता कारक (सीएफ) की गणना के लिए अधिसूचना की तारीख से तीन साल के लिए डाटा संग्रह के लिए पीईएमएस का उपयोग करते हुए रीयल वर्ल्ड चालन चक्र उत्सर्जन मापा जाएगा।

(च) इंजन की शक्ति को समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा। सीएनजी पर मापी गई शक्ति -15% ≤ गैसोलीन पर मापी गई शक्ति के संबंध में सीएनजी पर शक्ति ≤ +5% की सीमा के भीतर होगी।

(छ) सीएनजी वाहन या किट कंपोनेंट्स, उनके लगाने सहित, अनुबंध IX में दी गई सुरक्षा जांच के अनुरूप होंगे।

(ज) इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर आवश्यकताएं इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से 3 साल के बाद लागू होंगी"

(ii) पैरा ख में, उप नियम (II) के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

""(III) 3.5 टन से कम जीवीडब्ल्यू के साथ एल, एम और एन श्रेणी के इन-यूज डीजल वाहनों के इंजनों के परिवर्तन द्वारा रूपांतरण के लिए:-

(क) केवल सीएनजी प्रचालन के लिए रेट्रोफिटेड/परिवर्तित वाहन को टाइप अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई तालिका के अनुसार परफारमंस टेस्ट किए जाएंगे:

क्र.सं.	लागू परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
1.	मास उत्सर्जन परीक्षण (टाइप I परीक्षण)	1.सीएमवी नियम 115 (18)(i),115 (19),115 (20) या 115 (22) जैसा लागू हो 2.एआईएस -137
2.	ऑन-बोर्ड निदान	
3.	इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर	
4.	कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन	कार्बन डाईऑक्साइड को मापा और रिपोर्ट किया जाना है
5.	ग्रेडेबिलिटी टेस्ट	एआईएस 003
6.	ईएमसी टेस्ट (वाहन स्तर या असेंबली स्तर)	एआईएस 004 (पार्ट 3)
7.	ऑफसेट फ्रंटल कोलीजन नोट: केवल तभी जब अधिकतम जीवीडब्ल्यू वाले अनुमोदित मॉडल/वेरिएंट के संबंध में, कर्ब मास में 8% से अधिक की वृद्धि हुई हो	एआईएस -098

(ख) वाहन यथाप्रयोज्य एआईएस 024, एआईएस -028 संशोधन 1 के अनुसार सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे

(ग) सीएनजी किट से रेट्रोफिट किए गए वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा और हर तीन साल में एक बार नवीनीकृत किया जाएगा।

(घ) सीएनजी किट को विशिष्ट रूप से निर्मित वाहनों के लिए टाइप अनुमोदित किया जाएगा। इस तरह की किट को किसी भी वाहन में सीसी इंजन क्षमता की निर्दिष्ट सीमा के भीतर 1500 सीसी तक के वाहनों के लिए ± 7% और 1500 सीसी से ऊपर ± 5% की क्षमता सीमा के भीतर रेट्रोफिटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

(ड.) अनुरूपता कारक (सीएफ) की गणना के लिए अधिसूचना की तारीख से तीन साल के लिए डाटा संग्रह के लिए पीईएमएस का उपयोग करते हुए रीयल वर्ल्ड चालन चक्र उत्सर्जन मापा जाएगा।

(च) इंजन की शक्ति को समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा। सीएनजी पर मापी गई शक्ति -15% ≤ डीजल पर मापी गई शक्ति के संबंध में सीएनजी पर शक्ति ≤ +5% की सीमा के भीतर होगी।

(छ) सीएनजी वाहन या किट कंपोनेंट्स, उनके लगाने सहित, अनुबंध IX में दी गई सुरक्षा जांच के अनुरूप होंगे।

(ज) इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर आवश्यकताएं इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से 3 साल के बाद लागू होंगी"

(ii) पैरा ग में, पैरा गक के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"गख. 3.5 टन से कम जीवीडब्ल्यू के साथ एल, एम और एन श्रेणियों के वाहन के लिए नए सीएनजी इंजन द्वारा इन-यूज बीएस VI डीजल इंजन का प्रतिस्थापन: - (क) नए सीएनजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापित डीजल इंजन वाले इन-यूज बीएस VI वाहन के टाइप अनुमोदन के लिए, यह बीएस VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करेगा जैसा कि इसके उपयोग के स्थान के संबंध में वाहन की श्रेणी पर लागू होता है, जो नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परीक्षणों पर निर्भर है।

क्र.सं.	लागू परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
1.	मास उत्सर्जन परीक्षण (टाइप I परीक्षण)	1.सीएमवी नियम 115 (18)(i),115 (19),115 (20) या 115 (22) जैसा लागू हो
2.	ऑन-बोर्ड निदान	

3.	इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर	2.एआईएस -137
4.	कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन	कार्बन डाईऑक्साइड को मापा और रिपोर्ट किया जाना है
5.	ग्रेडेबिलिटी टेस्ट	एआईएस 003
6.	ईएमसी टेस्ट (वाहन स्तर या असेंबली स्तर)	एआईएस 004 (पार्ट 3)
7.	ऑफसेट फ्रंटल कोलीजन नोट: केवल तभी जब अधिकतम जीवीडब्ल्यू वाले अनुमोदित मॉडल/वेरिएंट के संबंध में, कर्ब मास में 8% से अधिक की वृद्धि हुई हो	एआईएस -098

(ख) वाहन यथाप्रयोज्य एआईएस 024, एआईएस -028 संशोधन 1 के अनुसार सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे

(ग) सीएनजी किट से रेट्रोफिट किए गए वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा और हर तीन साल में एक बार नवीनीकृत किया जाएगा।

(घ) सीएनजी किट को विशिष्ट रूप से निर्मित वाहनों के लिए टाइप अनुमोदित किया जाएगा। इस तरह की किट को किसी भी वाहन में सीसी इंजन क्षमता की निर्दिष्ट सीमा के भीतर 1500 सीसी तक के वाहनों के लिए ± 7% और 1500 सीसी से ऊपर ± 5% की क्षमता सीमा के भीतर रेट्रोफिटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

(ङ.) अनुरूपता कारक (सीएफ) की गणना के लिए अधिसूचना की तारीख से तीन साल के लिए डाटा संग्रह के लिए पीईएमएस का उपयोग करते हुए रीयल वर्ल्ड चालन चक्र उत्सर्जन मापा जाएगा।

(च) इंजन की शक्ति को समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा। सीएनजी पर मापी गई शक्ति -15% ≤ डीजल पर मापी गई शक्ति के संबंध में सीएनजी पर शक्ति ≤ +5% की सीमा के भीतर होगी।

(छ) सीएनजी वाहन या किट कंपोनेंट्स, उनके लगाने सहित, अनुबंध IX में दी गई सुरक्षा जांच के अनुरूप होंगे।

(ज) इन-सर्विस अनुरुपता और आईयूपीआर आवश्यकताएं इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से 3 साल के बाद लागू होंगी"

3. नियम 115-ग में,

(i) उप नियम 3(क)(iv) के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(v) 1 अप्रैल 2016 को और उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए यथाप्रयोज्य टाइप अनुमोदन मानदंड दो और तीन पहिया वाहनों के लिए न्यूनतम भारत स्टेज- IV उत्सर्जन मानदंडों पर निर्भर।"

(ii) उप नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5) 3.5 टन से कम जीवीडब्ल्यू के साथ एल, एम और एन श्रेणियों के इन-यूज बीएस VI गैसोलीन वाहन के लिए: -

(क) एलपीजी किट से लैस वाहन को टाइप अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई तालिका के अनुसार परफारमंस टेस्ट किया जाएगा:

क्र.सं.	लागू परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
1.	मास उत्सर्जन परीक्षण (टाइप I परीक्षण)	1.सीएमवी नियम 115 (18)(i),115 (19),115 (20) या 115 (22) जैसा लागू हो 2.एआईएस -137
2.	ऑन-बोर्ड निदान	
3.	इन-सर्विस अनुरुपता और आईयूपीआर	
4.	कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन	कार्बन डाईऑक्साइड को मापा और रिपोर्ट किया जाना है
5.	ग्रेडेबिलिटी टेस्ट	एआईएस 003

6.	ईएमसी टेस्ट (वाहन स्तर या असेंबली स्तर)	एआईएस 004 (पार्ट 3)
7.	ऑफसेट फ्रंटल कोलीजन नोट: केवल तभी जब अधिकतम जीवीडब्ल्यू वाले अनुमोदित मॉडल/वेरिएंट के संबंध में, बिना भार के कर्ब मास में 8% से अधिक की वृद्धि हुई हो	एआईएस -098

(ख) वाहन यथाप्रयोज्य एआईएस 025, एआईएस -026 और एआईएस 027 के अनुसार सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे

(ग) एलपीजी किट से रेट्रोफिट किए गए वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा और हर तीन साल में एक बार नवीनीकृत किया जाएगा।

(घ) एलपीजी किट के लिए टाइप अनुमोदन विशिष्ट रूप से निर्मित वाहनों के लिए दिया जाएगा। इस तरह की किट को किसी भी वाहन में सीसी की इंजन क्षमता की निर्दिष्ट सीमा के भीतर 1500 सीसी तक के वाहनों के लिए ± 7% और 1500 सीसी से ऊपर ± 5% की क्षमता सीमा के भीतर रेट्रोफिटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

(ड.) अनुरूपता कारक (सीएफ) की गणना के लिए अधिसूचना की तारीख से तीन साल के लिए डाटा संग्रह के लिए पीईएमएस का उपयोग करते हुए रीयल वर्ल्ड चालन चक्र उत्सर्जन मापा जाएगा।

(च) इंजन की शक्ति को समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा। एलपीजी पर मापी गई शक्ति -15% ≤ गैसोलीन पर मापी गई शक्ति के संबंध में एलपीजी पर शक्ति ≤ +5% की सीमा के भीतर होगी।

(छ) एलपीजी वाहन या किट कंपोनेंट्स, उनके लगाने सहित, अनुबंध VIII में दी गई सुरक्षा जांच के अनुरूप होंगे।

(ज) इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर आवश्यकताएं इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से 3 साल के बाद लागू होंगी"

(झ) किट निर्माता/आपूर्तिकर्ता परीक्षण एजेंसी को जांच और अनुमोदन के लिए संबंधित मॉडलों, जिस पर कोई भी अनुमोदित किट लगाया जाना है, में एलपीजी किट के रेट्रोफिटमेंट के लिए एक लेआउट प्लान उपलब्ध कराएंगे। किट का रीट्रोफिटमेंट इस प्रकार के अनुमोदित लेआउट प्लान के आधार पर ही होगा। परीक्षण एजेंसियों को विशेष रूप से उन मॉडलों और उनके वेरिएंट्स, जिन पर प्रमाण पत्र मान्य होगा, को सुचित करना आवश्यक होगा।

(iii) उप नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(7क). **3.5 टन से कम जीवीडब्ल्यू के साथ एल, एम और एन श्रेणियों के वाहन के लिए नए एलपीजी इंजन द्वारा इन-यूज बीएस VI डीजल इंजन का प्रतिस्थापन: -** (क) नए एलपीजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापित डीजल इंजन वाले इन-यूज बीएस VI वाहन के टाइप अनुमोदन के लिए, यह बीएस VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करेगा जैसा कि इसके उपयोग के स्थान के संबंध में वाहन की श्रेणी पर लागू होता है, जो नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परीक्षणों पर निर्भर है:

क्र.सं.	लागू परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
1.	मास उत्सर्जन परीक्षण (टाइप I परीक्षण)	1.सीएमवी नियम 115 (18)(i),115 (19),115 (20) या 115 (22) जैसा लागू हो 2.एआईएस -137
2.	ऑन-बोर्ड निदान	
3.	इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर	
4.	कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन	कार्बन डाईऑक्साइड को मापा और रिपोर्ट किया जाना है
5.	ग्रेडेबिलिटी टेस्ट	एआईएस 003
6.	ईएमसी टेस्ट (वाहन स्तर या असेंबली स्तर)	एआईएस 004 (पार्ट 3)
7.	ऑफसेट फ्रंटल कोलीजन	एआईएस -098

	नोट: केवल तभी जब अधिकतम जीवीडब्ल्यू वाले अनुमोदित मॉडल/वेरिएंट के संबंध में, कर्ब मास में 8% से अधिक की वृद्धि हुई हो	

(ख) वाहन यथाप्रयोज्य एआईएस 024, एआईएस -028 संशोधन 1 के अनुसार सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे

(ग) एलपीजी किट से रेट्रोफिट किए गए वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा और हर तीन साल में एक बार नवीनीकृत किया जाएगा।

(घ) एलपीजी किट के लिए टाइप अनुमोदन विशिष्ट रूप से निर्मित वाहनों के लिए दिया जाएगा। इस तरह की किट को किसी भी वाहन में सीसी इंजन क्षमता की निर्दिष्ट सीमा के भीतर 1500 सीसी तक के वाहनों के लिए ± 7% और 1500 सीसी से ऊपर ± 5% की क्षमता सीमा के भीतर रेट्रोफिटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

(ड.) अनुरूपता कारक (सीएफ) की गणना के लिए अधिसूचना की तारीख से तीन साल के लिए डाटा संग्रह के लिए पीईएमएस का उपयोग करते हुए रीयल वर्ल्ड चालन चक्र उत्सर्जन मापा जाएगा।

(च) इंजन की शक्ति को समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा। एलपीजी पर मापी गई शक्ति -15% ≤ डीजल पर मापी गई शक्ति के संबंध में सीएनजी पर शक्ति ≤ +5% की सीमा के भीतर होगी।

(छ) एलपीजी वाहन या किट कंपोनेंट्स, उनके लगाने सहित, अनुबंध IX में दी गई सुरक्षा जांच के अनुरूप होंगे।

(ज) इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर आवश्यकताएं इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से 3 साल के बाद लागू होंगी"

[फा. सं. आरटी-11036/60/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा. का. नि._____ (अ) दिनांक ______ के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2022

G.S.R. 47(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……………Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), In the rule 115-B,

(i) In para A,

(a) In sub rule (II), after the clause (a) (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

"(v) For the vehicles manufactured on and after the 1st day of April 2016, the type approval norms as applicable, subject to minimum of Bharat Stage-IV emission norms for two and three wheeler."

(b) After Sub rule (II), the following rule shall be inserted, namely:-

"(III) For in-use BS VI gasoline vehicle of categories L, M&N with GVW less than 3.5T:-

(a) For the purpose of granting type approval to the vehicle fitted with a CNG (natural gas) kit, performance tests shall be carried out as per the table below:

Sl.No.	Applicable test	Reference document
1.	Mass emission test (Type I test)	1.CMV Rule 115 (18)(i),115 (19),115 (20) or 115 (22) as applicable 2.AIS-137
2.	On-Board diagnosis	
3.	In-service conformity and IUPR(In-use performance ratio)	
4.	CO2 emission	CO2 to be measured and reported
5.	Gradeability test	AIS 003
6.	EMC test (Vehicle level or assembly level)	AIS 004 (part 3)
7.	Offset Frontal Collision Note: only if there is increase in the kerb mass w.r.t approved model/variant having highest GVW, by more than 8%	AIS-098

(b) Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.

(c) Type approvals for vehicles retrofitted with CNG kits shall be valid for three years from the date of issue of such approval and shall be renewed for every three years at a time.

(d) Type approval for vehicles retrofitted/modified for CNG operation shall be given for vehicles of specific make. Such kit shall be considered fit for retrofitment in any vehicle within a specified range of engine capacity of cc within a range of ± 7% tolerance for vehicles up to 1500 cc & ± 5% above 1500 cc.

(e) Real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for data collection for three years from the date of notification for the computation of Conformity factor (CF).

(f) The engine power shall be measured on engine dynamometer as per procedures prescribed in AIS 137 as amended from time to time. Measured power with CNG shall be within a range of -15% ≤ Power on CNG ≤ +5% w.r.t the power measured on gasoline.

(g) CNG vehicles or kit components, including their installation, shall conform to the safety checks given in Annexure IX.

(h) In-service conformity and IUPR requirements to be applicable after 3 years from the date of implementation of this notification."

(ii) In para B, After Sub rule (II) the following rule shall be inserted, namely:-

"(III) For conversion by modification of engines of in-use diesel vehicle of categories L, M&N with GVW less than 3.5T:-

(a) For the purpose of granting type approval to the vehicle retrofitted/modified for dedicated CNG operation, performance tests shall be carried out as per the table below:

Sl.No.	Applicable test	Reference document
1.	Mass emission test (Type I test)	1.CMV Rule 115 (18)(i),115 (19),115 (20) or 115 (22) as applicable 2.AIS-137
2.	On-Board diagnosis	
3.	In-service conformity and IUPR	

4.	CO2 emission	CO2 to be measured and reported
5.	Gradeability test	AIS 003
6.	EMC test (Vehicle level or assembly level)	AIS 004 (part 3)
7.	Offset Frontal Collision Note:)only if there is increase in the kerb mass w.r.t approved model/variant having highest GVW, by more than 8%	AIS-098

(b) Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.

(c) Type approvals for vehicles retrofitted with CNG kits shall be valid for three years from the date of issue of such approval and shall be renewed for every three years at a time.

(d) CNG kit shall be type approved for vehicles of specific make. Such kit shall be considered fit for retrofitment in any vehicle within a specified range of engine capacity of cc within a range of ± 7% for vehicles up to 1500 cc & ± 5% above 1500 cc.

(e) Real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for data collection for three years from the date of notification for the computation of Conformity factor (CF).

(f) The engine power shall be measured on engine dynamometer as per procedures prescribed in AIS 137 as amended time to time. Measured power with CNG shall be within a range of -15% ≤ Power on CNG ≤ +5% w.r.t. the power measured on diesel.

(g) CNG vehicles or kit components, including their installation, shall conform to the safety checks given in Annexure IX.

(h) In-service conformity and IUPR requirements to be applicable after 3 years from the date of implementation of this notification."

(ii) In para C, after para CA, the following para shall be inserted, namely

"CB. **Replacement of In-use BS VI Diesel engine by new** CNG **engine for vehicle categories L,M&N with GVW less than 3.5T**:- (a)For type approval of in-use BS VI vehicle having diesel engine replaced by new CNG engine, it shall meet BS VI emission norms as applicable to the category of vehicle in respect of its place of use subject to tests mentioned in the table given below.

Sl. No.	Applicable test	Reference document
1.	Mass emission test (Type I test)	1.CMV Rule 115 (18)(i),115 (19),115 (20) or 115 (22) as applicable 2.AIS-137
2.	On-Board diagnosis	
3.	In-service conformity and IUPR	
4.	CO2 emission	CO2 to be measured and reported
5.	Gradeability test	AIS 003
6.	EMC test (Vehicle level or assembly level)	AIS 004 (part 3)
7.	Offset Frontal Collision Note:)only if there increase in the kerb mass w.r.t approved model/variant having highest GVW, by more than 8%	AIS-098

(b) Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.

(c) Type approvals for vehicles retrofitted with CNG kits shall be valid for three years from the date of issue of such approval and shall be renewed for every three years at a time.

(d) CNG kit shall be type approved for vehicles of specific make. Such kit shall be considered fit for retrofitment in any vehicle within a specified range of engine capacity of cc within a range of ± 7% for vehicles up to 1500 cc & ± 5% above 1500 cc.

(e) Real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for data collection for three years from the date of notification for the computation of Conformity factor (CF).

(f) The engine power shall be measured on engine dynamometer as per procedures prescribed in AIS 137 as amended from time to time. Measured power with CNG shall within a range of -15% ≤ Power on CNG ≤ +5% w.r.t. the power measured on diesel.

(g) CNG vehicles or kit components, including their installation, shall conform to the safety checks given in the Annexure IX.

(h) In-service conformity and IUPR requirements to be applicable after 3 years from the date of implementation of this notification."

3. In the rule 115-C,

(i) After Sub rule 3(a)(iv), the following rule shall be inserted, namely:-

"(v) For the vehicles manufactured on and after the 1st day of April 2016, the type approval norms as applicable subject to minimum of Bharat Stage-IV emission norms for two and three wheeler."

(ii) After Sub rule 4, the following rule shall be inserted, namely:-

"(5) For in-use BS VI gasoline vehicle of categories L,M&N with GVW less than 3.5T:-

(a) For the purpose of granting type approval to the vehicle fitted with a LPG kit, performance tests shall be carried out as per the table below:

Sl. No.	Applicable test	Reference document
1.	Mass emission test (Type I test)	1.CMV Rule 115 (18)(i),115 (19),115 (20) or 115 (22) as applicable 2.AIS-137
2.	On-Board diagnosis	
3.	In-service conformity and IUPR	
4.	CO2 emission	CO2 to be measured and reported
5.	Gradeability test	AIS 003
6.	EMC test (Vehicle level or assembly level)	AIS 004 (part 3)
7.	Offset Frontal Collision Note: only if there is increase in the kerb mass w.r.t approved model/variant having highest GVW, by more than 8%	AIS-098

(b)Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 025, AIS-026 and AIS 027 as applicable.

(c)Type approvals for vehicles retrofitted with LPG kits shall be valid for three years from the date of issue of such approval and shall be renewed for every three years at a time.

(d) LPG kit shall be type approved for vehicles of specific make. Such kit shall be considered fit for retrofitment in any vehicle within a specified range of engine capacity of cc within a range of ± 7% for vehicles up to 1500 cc & ± 5% above 1500 cc.

(e) Real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for data collection for three years from the date of notification for the computation of Conformity factor (CF).

(f) The engine power shall be measured on engine dynamometer as per procedures prescribed in AIS 137 as amended time to time. Measured power with LPG shall be within a range of -15% ≤ Power on CNG ≤ +5% w.r.t. the power measured on diesel.

(g) LPG vehicles or kit components, including their installation, shall conform to the safety checks given in the Annexure IX.

(h) In-service conformity and IUPR requirements to be applicable after 3 years from the date of implementation of this notification."

(i) The kit manufacturers/ suppliers shall provide a layout plan for retrofitment of LPG kit in the respective models on which any approved kit is to be installed, to the test agency for vetting and approval. The retrofitment of kit shall be on the basis of such type approved layout plan only. Testing agencies will be required to indicate specifically the models and their variants on which certificate will be valid.

(iii) After Sub rule 7, the following rule shall be inserted, namely:-

"(7A) **Replacement of In-use BS VI Diesel engine by new LPG engine for vehicle categories L,M&N with GVW less than 3.5T**:- (a) For type approval of in-use BS VI vehicle having diesel engine replaced by new LPG engine,it shall meet BS VI emission norms as applicable to the category of vehicle in respect of its place of use, subject to tests mentioned in the table given below:

Sl. No.	Applicable test	Reference document
1.	Mass emission test (Type I test)	1.CMV Rule 115 (18)(i),115 (19),115 (20) or 115 (22) as applicable 2.AIS-137
2.	On-Board diagnosis	
3.	In-service conformity and IUPR	
4.	CO2 emission	CO2 to be measured and reported
5.	Gradeability test	AIS 003
6.	EMC test (Vehicle level or assembly level)	AIS 004 (part 3)
7.	Offset Frontal Collision Note: only if there is increase in the kerb mass w.r.t approved model/variant having highest GVW, by more than 8%	AIS-098

(b) Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.

(c) Type approvals for vehicles retrofitted with LPG kits shall be valid for three years from the date of issue of such approval and shall be renewed for every three years at a time.

(d) LPG kit shall be type approved for vehicles of specific make. Such kit shall be considered fit for retrofitment in any vehicle within a specified range of engine capacity of cc within a range of ± 7% for vehicles up to 1500 cc & ± 5% above 1500 cc.

(e) Real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for data collection for three years from the date of notification for the computation of Conformity factor (CF).

(f) The engine power shall be measured on engine dynamometer as per procedures prescribed in AIS 137 as amended time to time. Measured power with LPG shall be within a range of -15% ≤ Power on CNG ≤ +5% w.r.t. the power measured on diesel.

(g) LPG vehicles or kit components, including their installation, shall conform to the safety checks given in the Annexure IX.

(h) In-service conformity and IUPR requirements to be applicable after 3 years from the date of implementation of this notification."

[F. No. RT-11036/60/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.27 22:56:45 +05'30'